

मोबाइल ऐप, टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबरों जैसे सुविधाजनक माध्यमों से बिजली गुल की शिकायत दर्ज कराएं

मोबाइल ऐप



हेल्पलाइन नंबर
011-399 99 808



19122 (टोल फ्री)



8745999808

एसएमएस: 5616108

7400 मेगावॉट हो सकती है बिजली की मांग

दिल्ली में इस साल बिजली की पीक डिमांड 7400 मेगावॉट के आंकड़े को पार कर सकती है। पिछली गर्मियों में बिजली की पीक डिमांड 7000 मेगावॉट से अधिक थी, जो राष्ट्रीय राजधानी में अब तक रेकॉर्ड की कई सर्वाधिक मांग थी। बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए बीएसईएस द्वारा बिजली के पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। इन इंतजामों में लंबी अवधि के लिए किए गए बिजली खरीद समझौते और दूसरे राज्यों के साथ की गई पावर बैंकिंग व्यवस्था प्रमुख हैं। जिन राज्यों के साथ पावर बैंकिंग व्यवस्था की गई है, उनमें शामिल हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम।

दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड



फीडबैक

अपने फीडबैक व सुझाव भेजें: कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110032, सीआईएन: CIN:U40109DL2001PLC111525 फोन: 11-399-97-111/399-99-273 ईमेल: bypl.feedback@relianceada.com, वेबसाइट: www.bsesdelhi.com

बीवाईपीएल में भ्रष्टाचार को बिल्कुल बरदाशत न करने की नीति है

अगर बिजली से संबंधित किसी भी कार्य के लिए कोई आपसे रिश्वत मांगता है, तो बीवाईपीएल विजिलेंस डिपार्टमेंट से संपर्क करें। फोन. 8010930719, वॉट्सऐप नंबर. 8588892156, ईमेल: bypl.vigilance@relianceada.com

गर्मियों में बिजली और पैसे की बचत के टिप्स

- कम खर्च पर अधिक आराम पाने के लिए एसी के थर्मोस्टेट को 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें
- खिड़कियों और दीवारों पर पौधे लगाने से एयरकंडीशनिंग की लागत 40 प्रतिशत तक कम हो सकती है
- छतों को सफेद रंग से पेंट कर या उन पर सफेद टाइल्स लगा कर एयर कंडीशनिंग की लागत में 20 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है
- सूरज की सीधी रोशनी या गर्मी के किसी भी स्रोत से अपने फ्रिज को अलग रखें
- जब उपयोग में न हों, बिजली उपकरणों को स्विच ऑफ कर दें। याद रखें स्टैंड बाय मोड पर रखने से भी बिजली की खपत होती रहती है।

क्यों होती है बिजली गुल!

बीवाईपीएल आपको निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन, कई बार कुछ कारणों की वजह से हमारे प्रयास बाधित हो जाते हैं, जिनमें से कई हमारे नियंत्रण में नहीं होते। ये निम्नलिखित हैं—

- (1) ग्रिड में लो फ्रिकेवेंसी (2) बिजली उत्पादन इकाइयों / ट्रांसमिशन / वितरण सिस्टम में उपकरणों का ब्रेकडाउन (3) ईंधन की कमी के कारण बिजली उत्पादन इकाइयों में बिजली का कम उत्पादन (4) ट्रांसमिशन लाइनों और उपकरणों में क्षमता संबंधी बाधाएं (5) बिजली चोरी की वजह से बिजली वितरण सिस्टम में ट्रिपिंग व खराबी (6) लोकल फॉल्ट्स (7) सिस्टम में सुधार हेतु, मरम्मत व रख-रखाव कार्यों के लिए योजनाबद्ध तरीके से शटडाउन

15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों में कनेक्शन के लिए फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी

15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन में बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदक को फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होगा। यह डीईआरसी नियमावतियों तथा दिल्ली के मास्टर प्लान के भवन उपनियमों के तहत आवश्यक है।

